14

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

श्री अजय पाण्डेय एड.
द्वारा पेश / 7.11.14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-3888-III/14

474
7.11.14

1- धनेन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय स्व. श्री रामनिवास शुक्ला उम्र 49 साल पेशा नौकरी

2- मुनेन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय स्व. श्री रामनिवास शुक्ला उम्र 47 साल पेशा खेती

3- राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय स्व. श्री रामनिवास शुक्ला उम्र 44 साल पेशा खेती

4:- केदार प्रसाद मिश्र तनय स्व. श्री कौशल प्रसाद मिश्र उम्र 60 साल पेशा कृषि

5:- बद्री प्रसाद शुक्ला (मृतक) द्वारा वारिसान -

क:- प्रेमलता शुक्ला पति स्व. बद्री प्रसाद शुक्ला उम्र 55 वर्ष, पेशा गृहणी

ख:- रबीकान्त शुक्ला पिता स्व. श्री बद्री प्रसाद शुक्ला उम्र 24 साल पेशा कृषि

ग:- शशीकान्त शुक्ला पिता स्व. श्री बद्री प्रसाद शुक्ला उम्र 23 वर्ष, पेशा कृषि

घ:- पुष्पेन्द्र शुक्ला पिता स्व. श्री बद्री प्रसाद शुक्ला उम्र 20 वर्ष, पेशा कृषि, पढ़ाई

क्रमांक ________
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ________ को प्राप्त

सभी निवासी ग्राम भिखपुरवा 60। तहसील गुढ़, जिला रीवा म.प्र.

---------- निगरानी कर्तागण

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

व नाम

1:- शान्ती देबी बेबा बैजनाथ शुक्ला

2:- बाबूलाल तनय बैजनाथ शुक्ला

3:- अवनी कुमार तनय बैजनाथ शुक्ला

क्रमांक 3627
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 13 ________ को प्राप्त

4:- कृष्ण कुमार तनय बैजनाथ शुक्ला

5:- अशोक कुमार तनय बैजनाथ शुक्ला

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

6:- नागेन्द्र कुमार तनय बैजनाथ शुक्ला

7:- लोकनाथ शुक्ला तनय छोटेलाल शुक्ला

8:- प्रेमलाल शुक्ला तनय श्री छोटेलाल शुक्ला

9:- पुष्पा देवी बेबा ब्रजेन्द्रनाथ शुक्ला

क्र. 2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3888/III/14 जिला रीवा

धीरेन्द्र ज्योति

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-11-15	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें पुनरांकित न किया जाकर विचार में लिया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30-9-2014 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आवेदकगण (जो इस प्रकरण में अनावेदक हैं) द्वारा तह० के प्र० क्र० 27/अ-6-अ/12-13 में पारित आदेश दिनांक 2-2-13 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। पुनरावलोकन आवेदन पर प्र० पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में आवेदकगण की सूचना उपरांत अनुपस्थिति के कारण पुनरावलोकन प्रकरण, आदेश दिनांक-25-2-14 से अदम पैरवी में निरस्त किया गया। आवेदक (जो इस प्रकरण में अनावेदक है	

[कृ. प. उ.

R-3888/III/14 ...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	क्रमशः शांति	

के द्वारा आवेदन दिनांक 1-5-14 प्रस्तुत कर प्रकरण को पुनर्स्थापित करने का निवेदन किया गया। जिस पर आवेदकगण एवं अनावेदकगण के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को पुनर्स्थापित किये जाने संबंधी आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र०क्र० 27/अ-6-अ/12-13 पुनरावलोकन प्रकरण को पुनर्स्थापित करने संबंधी आवेदन दिनांक 1-5-14 को स्वीकार किया गया जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाकर प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति के जवाब हेतु नियत किया किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है प्रकरण मात्र पुनर्स्थापित किया गया है तथा आपत्ति के जवाब हेतु नियत नियत है। तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दिनांक 30.9.14 से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में प्रभावित हुए होना परिलक्षित नहीं हो रहे हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र० दा०रि० हो।

सदस्य

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.